निवेश मित्र 3.0 में घटेगा कागजी बोझ 530 के बजाय रह जाएंगी 200 सेवाएं

प्रदेश में कारोबार शुरू करने और सरकारी मंजूरी लेने की प्रक्रिया हुई आसान

अभिषेक गुप्ता

43 से अधिक विभागों की प्रक्रियाएं सरल आवेदन में 25% तक फील्ड होंगे कम

लखनऊ। कारोबार शुरू करने और सरकारी मंजूरी लेने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए निवेश मित्र 3.0 में 43 से अधिक विभागों की 530 से ज्यादा सेवाओं को समेटकर 200 से कम सेवाओं में लाया जा रहा है। इससे निवेशकों को एक ही काम के लिए अलग-अलग आवेदन और दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी। निवेश मित्र 3.0 को जुलाई में मंजूरी मिली थी और अब इस पर काम तेज कर दिया गया है।

इन्वेस्ट यूपी के मुताबिक आवेदन में मांगी जाने वाली सूचनाओं, दस्तावेजों और प्रक्रियात्मक चरणों को कम किया जा रहा है। आवेदन में 25 फीसदी तक फील्ड, दस्तावेजों में 15 फीसदी और प्रक्रियात्मक चरणों में करीब 20 फीसदी कमी का लक्ष्य है। विभागवार आंकड़ों के अनुसार, श्रम विभाग में आवेदन से जुड़े फील्ड 679 से घटकर 314 रह गए हैं, यानी 53.76 फीसदी कमी। दस्तावेज भी 63 से घटकर 35 रह गए हैं। भूजल विभाग में फील्ड 77 फीसदी, वन एवं वन्यजीव विभाग में 71 फीसदी और फिल्म बंधु में 80 फीसदी कम किए गए हैं। पर्यटन विभाग में फील्ड 288 से 125 और वाणिज्यिक कर विभाग में 147 से 76 रह गए हैं।

अग्निशमन सेवाओं में दस्तावेज 15 से घटकर पांच, वाणिज्यिक कर विभाग में 27 से 15 और यूपी पावर कॉर्पोरेशन में 11 से सात रह गए हैं। फिल्म बंधु में दस्तावेज 30 से घटकर चार हुए हैं, यानी 86.67 फीसदी कम किए गए हैं। निवेश मित्र टीम के सदस्य के अनुसार, निवेश मित्र 3.0 में सिर्फ कागजी आवेदन ऑनलाइन करने के बजाय यह तय किया गया है कि निवेशक से कितनी जानकारी व कितने दस्तावेज वास्तव में जरूरी हैं और अनुमति कितने चरणों में दी जाए।

एक आवेदन से कई अनुमतियां

निवेश मित्र 3.0 में डायनेमिक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की व्यवस्था होगी। निवेशक एक डिजिटल आवेदन के जरिये संबंधित विभागों की अनुमतियों की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगा। इसमें पैन को एकल कारोबारी पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पोर्टल को राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम, एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, जीआईएस आधारित औद्योगिक लैंड बैंक और अन्य निवेश प्रणालियों से जोड़ा गया है। आवेदन की स्थिति एसएमएस, व्हाट्सएप और ई-मेल से मिलेगी। एआई चैटबॉट की सुविधा भी होगी। निर्धारित समयसीमा की डिजिटल निगरानी के साथ निवेशक आवेदन की स्थिति वास्तविक समय में देख सकेगा।

एक फैक्टरी लगाने में आधे से ज्यादा कम होंगे अनुपालन

विनिर्माण फैक्टरी लगाने वाले उद्यमियों को अब विभिन्न विभागों से अनुमति लेने में कम बोझ उठाना पड़ेगा। निवेश मित्र 3.0 इस प्रक्रिया को सरल बना रहा है, जिसके तहत 530 से अधिक सेवाओं को 200 से कम में समेटा गया है। आवेदन में फील्ड करीब 25 फीसदी, दस्तावेज 15 फीसदी और प्रक्रियात्मक चरण 20 फीसदी घटेंगे। श्रम विभाग में दस्तावेज 63 से 35, अग्निशमन में अनुमतियां 15 से 5 और जीएसटी में 27 से 15 हो जाएंगी। पावर कॉरपोरेशन में 11 की जगह 7 दस्तावेज लगेंगे। फिल्म बंधु में फील्ड 80 फीसदी और दस्तावेज 30 से घटकर 4 रह गए हैं। भूजल तथा वन एवं वन्यजीव विभाग में भी फील्ड 70 फीसदी से अधिक कम हुए हैं। फाइल की ताजा स्थिति फोन पर मिल जाएगी।